9/11

समाहरणालय, पटना।

(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

–: आदेश :–

2013 विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–348/2011 में आवेदक **श्री अजीत सिंह**, पिता–श्री राज नारायण सिंह, सा0–"राज प्रभा", जी0–131, पीपुल्स कॉपरेटिव कॉलोनी, थाना–कंकड़बाग, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–11.06.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे अधिवक्ता हैं। उनका थाना क्षेत्र अत्यंत अपराधग्रस्त है, जहाँ बराबर आपराधिक घटनाएँ घटती रहती है। उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु उनके सुरक्षा भय/आशंका के संबंध में पूछने पर उनके द्वारा कोई भी विशिष्ट (Specific) जानकारी नहीं दी गयी।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना का पत्रांक–1532/गो0, दिनांक–06.12.2012 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र जाँचोपरान्त बिना अनुशंसा के मूल में अग्रसारित कर भेजा गया। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन में आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु यथेष्ट कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही आवेदक के पिता के नाम से पूर्व से ही तीन अनुज्ञप्ति धारित होने के कारण आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा नहीं की जाती है। थानाध्यक्ष, कंकड़बाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक अधिवक्ता के पद पर हैं। उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया। लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदक को अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

आवेदक के द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर कार्रवाई लंबित रहने के कारण माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–........../2012 अजीत सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 की कंडिका–II में एन0पी0बोर शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में निदेश अंकित है, जो निम्नवत है :–

The arms licences for acquisition of NPB weapons are considered by the State Government/DM concerned. At present, there are no norms for grant of NPB weapons and some State Governments may be issuing arms licences liberally.

कंडिका–II की उप कंडिका–b तथा e निम्नवत है :–

b) No licence may be granted without police verification, which will include report on i) antecedents of the applicant, ii) assessment of the threat, iii) capability of the applicant to handle arms, and iv) any other information which the police authority might consider relevant for the grant or refusal of licence.

e) The licensing authority shall be obliged to take into account the report of police authorities called for under section 13 (2) before granting arms licenses and no arms licence may be issued without police verification.

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों, गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन0पी0बोर रायफल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, तथा गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक बिचारोपरान्त आवेदक श्री अजीत सिंह, पिता–श्री राज नारायण सिंह, सा0–''राज प्रभा'', जी0–131, पीपुल्स कॉपरेटिव कॉलोनी, थाना–कंकड़बाग, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।